कार्यालय, नियंत्रक नाप-तौल मध्यप्रदेश, भोपाल

होशंगाबाद रोड, गायत्री मंदिर के पास, भोपाल पिन – 462011
Tel. 0755-2551017 , 4246424 Email-cwmbho@mp.nic.in

क्र0 5459/नातौ/अ-1(1)/EoDB/2021 भोपाल, दिनांक 07/10/2021

1. समस्त उप / सहायक नियंत्रक
   नाप-तौल, **मध्यप्रदेश**
2. समस्त निरीक्षक,
   नाप-तौल, **मध्यप्रदेश**

विषय :- कम्प्यूटराईज्ड केन्द्रीयकृत निरीक्षण व्यवस्था के क्रियान्वयन के संबंध में।

संदर्भ :- प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, खाद्य के पत्र क्रमांक 1130/1294/(9-4)2019/29-2 दिनांक 29.08.2020 पर पृ.क्र. 1939/नातौ/अ-1(1)/EoDB/2020 दिनांक 03.09.2020 एवं पत्र क्रमांक आर-1294/(9-4)2019/29-2/2387 दिनांक 06.10.2021.

--------00-------

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में लेख है कि प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा अधिशासित अधिनियम यथा विधिक मापविज्ञान अधिनियम 2009 अंतर्गत होने वाले समस्त निरीक्षणों के संबंध में पूर्व जारी समस्त निर्देशों को समाप्त करते हुए नवीन निर्देश प्रसारित किये गयें है। जिसके तहत दिनांक 01.09.2020 से समस्त प्रकार के निरीक्षण केन्द्रीयकृत निरीक्षण व्यवस्था (CIS) के माध्यम से किये जाने के निर्देश है। इसी अनुक्रम में प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के ज्ञाप क्रमांक आर-1294/(9-4)2019/29-2/2387 दिनांक 06.10.2021 से **कम्प्यूटराईज्ड केन्द्रीयकृत निरीक्षण व्यवस्था (CIS) केवल औद्योगिक प्रतिष्ठानों, पेट्रोल पंप, गैस ऐजेन्सी एवं वेब्रिज के निरीक्षण के लिये ही लागू रहने संबधी निर्देश जारी किये गये है।**

अत: विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 के अंतर्गत होने वाले निरीक्षणों के संबध में निम्लिखित निर्देश जारी किये जाते हैं -

1. कम्प्यूटराईज्ड केन्द्रीयकृत निरीक्षण व्यवस्था (CIS) केवल औद्योगिक प्रतिष्ठानों, पेट्रोल पंप, गैस ऐजेन्सी एवं वेब्रिज के निरीक्षण के लिये ही लागू रहेगी।
2. औद्योगिक प्रतिष्ठानों, पेट्रोल पंप, गैस ऐजेन्सी एवं वेब्रिज के निरीक्षण के अतिरिक्त समस्त निरीक्षण निरीक्षक द्वारा किये जा सकेगें।
3. विभिन्न माध्यमों जैसे– भारत शासन, उपभोक्ता मामले विभाग के National Consumer Helpline (NCH) पोर्टल, सी.एम. हेल्पलाईन, शासन को प्राप्त शिकायती पत्र, ई-मेल आदि से प्राप्त होने वाली शिकायतों के निरीक्षण तथा आयुक्त एवं कलेक्टर कार्यालय के प्रशासकीय अधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में की जाने वाली समस्त जांच कम्प्यूटराईज्ड केन्द्रीयकृत निरीक्षण व्यवस्था CIS से मुक्त रहेगी।

लगातार ....

4. उप नियंत्रक / सहायक नियंत्रक प्रतिमाह CIS पोर्टल के माध्यम से प्रत्येक जिले हेतु कम से कम 10 संस्थानों का निरीक्षण Schedule करेंगे।
5. CIS पोर्टल पर Schedule किये गये निरीक्षणों के अतिरिक्त प्रत्येक निरीक्षक प्रतिमाह कम से कम 50 संस्थानों का निरीक्षण करेंगे। जिनमें कम से कम 25 निरीक्षण स्थाई संस्थानों के होना आवश्यक है।

निरीक्षको द्वारा प्रतिमाह किये गये निरीक्षणों की समीक्षा नियंत्रक महोदय द्वारा की जावेगी तथा तिमाही समीक्षा प्रमुख सचिव महोदय द्वारा वीडियों कान्फ्रेंस (VC) के माध्यम से की जावेगी। अत: समस्त निरीक्षक प्रतिमाह निर्धारित लक्ष्यानुरूप निरीक्षण करें, समीक्षा मे यदि किसी निरीक्षक द्वारा निर्धारित लक्ष्यानुरूप निरीक्षण नही करना पाया जाता है तो संबंधित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।

S Jain

(एस.के. जैन)
नियंत्रक
नातौल, म०प्र० भोपाल

पृ0क्र0 5460 /नातौ/अ-1(1)/EoDB/2021 भोपाल, दिनांक: 07/10/2021

प्रतिलिपि :-

प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक आर-1294/(9-4)2019/29-2/2387 दिनांक 06.10.2021 में दिये निर्देश के पालन में सूचनार्थ।

S Jain

नियंत्रक
नातौल, म०प्र० भोपाल

Letter for form or CIS